प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

13th अगस्त, 2026

संघ सरकार (रेलवे) पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

वर्ष 2026 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन स. 14- 'संघ सरकार (रेलवे)- अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन' को 12 अगस्त 2026 को राज्य सभा और लोक सभा के पटल पर रखा गया था।

प्रतिवेदन में संघ सरकार के रेल मंत्रालय की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 26 लेखापरीक्षा आपत्तियां शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं, जो 2023-24 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए। लेखापरीक्षा आपत्तियों की स्थिति को अद्यतन करने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, 2023-24 के बाद की अवधि से संबंधित जानकारी भी शामिल की गई है।

लेखापरीक्षा आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण:

पैरा 2.1 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल भत्ते, मेडिकल भत्ते, लीव एनकैशमेंट और कैंटीन भत्ते के लिए `259.13 करोड़ का अनियमित भुगतान: रेल सूचना प्रणाली केंद्र

वित्त मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 1984 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से स्वायत्त निकायों को उन भत्तों के भुगतान के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने का निर्देश दिया था जो 'सामान्य पैटर्न' के अनुरूप नहीं थे। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) ने मार्च 2025 तक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल भत्ते, मेडिकल भत्ते, लीव एनकैशमेंट और कैंटीन भत्ते जैसे भत्तों का भुगतान भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त किए बिना किया, जिस पर `259.13 करोड़ का व्यय हुआ। चूंकि ये भत्ते सामान्य पैटर्न के अनुरूप नहीं थे, इसलिए इन भत्तों पर किया गया व्यय अनियमित था।

पैरा 2.2 यात्रियों से सुपरफास्ट सरचार्ज का अनियमित उदग्रहण और वसूली: सभी जोनल रेलवे

भारतीय रेल ने 190 ट्रेनों में सुपरफास्ट सेवा के प्रावधानों के अनुसार ट्रेनों का शेड्यूल बनाए बिना यात्रियों से सुपरफास्ट सरचार्ज के रूप में `168.22 करोड़ का उदग्रहण किया।

पैरा 2.3 एक निजी साइडिंग से लोको किराया शुल्क वसूलने में रेलवे बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने के कारण राजस्व की हानि: दक्षिण रेलवे

रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया (दिसंबर 2014 में) कि वे लोको किराए का शुल्क मौजूदा प्रति लोको प्रति दिन के बजाय प्रति लोको प्रति घंटे के आधार पर वसूलें। इन निर्देशों के विपरीत, दक्षिण रेलवे ने जनवरी 2015 से मार्च 2022 की अवधि के लिए प्रतिदिन के आधार पर एक रेलवे डीजल लोकोमोटिव किराए पर लेने के लिए मेसर्स एसीसी लिमिटेड, मदुक्कराई साइडिंग (एमडीकेएस) के साथ वार्षिक समझौते किए। अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 की अवधि के लिए कोई समझौता नहीं किया गया; हालांकि, लोको किराए का शुल्क अखिल भारतीय इंजन घंटा लागत (एआईईएचसी) के आधार पर वास्तविक उपयोग के घंटों के लिए वसूला गया, जबकि लोकोमोटिव एमडीकेएस के विशेष अधिकार में रहा। रेलवे बोर्ड के निर्देशों से इस गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप `48.47 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

पैरा 2.4 अनुग्रह राशि/प्रदर्शन संबंधी वेतन का अस्वीकार्य भुगतान: कॉनकोर, इरकॉन, आईआरसीटीसी और रेलटेल

कॉनकोर, इरकॉन, आईआरसीटीसी और रेलटेल ने डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को अनुग्रह राशि/प्रदर्शन संबंधी वेतन के रूप में `20.54 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान किया।

पैरा 2.5 सार्वजनिक साइडिंग में साइडिंग शुल्क के गैर-उदग्रहण के कारण `19.72 करोड़ के राजस्व की हानि: पूर्व रेलवे

हजरतपुर गुड्स शेड, स्टेशन की सीमा से बाहर स्थित होने और संहिता प्रावधानों एवं रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक साइडिंग होने के बावजूद, पूर्व

रेलवे द्वारा सार्वजनिक साइडिंग के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, `19.72 करोड़ का लागू साइडिंग शुल्क का गैर-उदग्रहण हुआ।

पैरा 2.6 लंबी दूरी के रूटों का रेशनलाइज़ेशन न होने के कारण `9.06 करोड़ के राजस्व की हानि: पूर्व रेलवे

पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल पर लंबे रूट का रेशनलाइज़ेशन न होने के कारण, आवक यातायात में `9.06 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

पैरा 2.7 कॉनकोर के साथ साइडिंग समझौता न होने के कारण राजस्व की हानि: दक्षिण रेलवे

दक्षिण रेलवे (दरे) प्रशासन ने, टोंडियारपेट मार्शलिंग यार्ड (टीएनपीएम) द्वारा संचालित टोंडियारपेट रेल टर्मिनल (आईसीडीटी) से कंटेनर रेक की ढुलाई के लिए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर) के साथ एक मानक साइडिंग समझौता नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान कॉनकोर से `7.02 करोड़ का साइडिंग शुल्क वसूल नहीं किया गया।

पैरा 2.8 `6.31 करोड़ के साइडिंग शुल्क का गैर-उदग्रहण/गैर-प्राप्ति: पश्चिम मध्य रेलवे

रेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, पश्चिम मध्य रेलवे (पमरे) के अधिकार क्षेत्र में आने वाली दो निजी साइडिंगें थ्रू डिस्टेंस बेसिस पर माल-भाड़ा वसूलने के लिए पात्र नहीं थीं। तदनुसार, निर्धारित नियमों के अनुसार साइडिंग शुल्क लगाया जाना आवश्यक था। हालांकि, यह देखा गया कि रेलवे प्रशासन ने इन दोनों साइडिंगों पर साइडिंग शुल्क नहीं लगाया, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2022 से जुलाई 2024 की अवधि के लिए `6.31 करोड़ का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ।

पैरा 2.9 `5.83 करोड़ के साइडिंग शुल्क का गैर-उदग्रहण/गैर-प्राप्ति: पूर्व मध्य रेलवे

रेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, पूर्व मध्य रेलवे (पूमरे) के अधिकार क्षेत्र में आने वाली इंडियन ऑयल रिफाइनरी साइडिंग/बरौनी थ्रू डिस्टेंस बेसिस पर माल-भाड़ा वसूलने के लिए पात्र नहीं थीं। तदनुसार, नियमों एवं भारतीय रेल और

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच हुए समझौते के प्रावधानों के अनुसार साइडिंग शुल्क लगाया जाना आवश्यक था। हालांकि, यह देखा गया कि रेलवे प्रशासन ने इस साइडिंग पर साइडिंग शुल्क नहीं लगाया, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2019 से मार्च 2024 की अवधि के लिए `5.83 करोड़ का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ।

पैरा 2.10 गति प्रतिबंध लगाकर अधिक एक्सल-लोड वहन करने के लिए खंडों को अधिसूचित करने संबंधी रेलवे बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने के कारण राजस्व की हानि: दक्षिण रेलवे

रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे को निर्देश दिया कि वे सभी पृथक सीसी+6 खंडों को युद्धस्तर पर सीसी+8 मार्गों में परिवर्तित करें और इस परिवर्तन के दौरान, उन स्त्रोत-गंतव्य जोड़ी पर उचित गति प्रतिबंध लगाकर सीसी+8 माल ढुलाई की अनुमति दें जहां सीसी+6/सीसी+4 खंड कुल दूरी के 10 प्रतिशत के भीतर आते हैं। हालांकि, दक्षिण रेलवे ने गति प्रतिबंध लागू करके सीसी+8 माल ढुलाई के लिए दो प्राथमिकता वाले खंडों को छोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप `5.06 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

पैरा 3.1 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना एक खंड का विद्युतीकरण करने से `81.05 करोड़ का अनुत्पादक व्यय के साथ-साथ डीजल इंजनों द्वारा रोलिंग स्टॉक की ढुलाई के कारण आवर्ती अतिरिक्त व्यय: दक्षिण पश्चिम रेलवे

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से बिना शर्त एनओसी प्राप्त किए बिना दपरे के मैसूरु और चामराजनगर स्टेशनों के बीच के खंड के विद्युतीकरण के कार्य को करने के परिणामस्वरूप डीजल लोकोमोटिव द्वारा कोचिंग रोलिंग स्टॉक की ढुलाई के कारण आवर्ती अतिरिक्त व्यय (`80.20 लाख प्रति माह) के अलावा `81.05 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ।

पैरा 3.2 झारखंड सरकार से रोड ओवरब्रिज/रोड अंडरब्रिज के निर्माण लागत में राज्य के हिस्से के रूप में `63.87 करोड़ की वसूली न होना: दक्षिण पूर्व रेलवे

कोडल प्रावधानों, रेलवे बोर्ड के आदेश और समझौता ज्ञापन में निर्धारित शर्तों का पालन न करने के कारण, झारखंड सरकार से रोड ओवरब्रिज/रोड अंडरब्रिज के निर्माण की लागत में राज्य के हिस्से के रूप में `63.87 करोड़ की राशि प्राप्त नहीं हो सकी।

पैरा 3.3 पानी के बिलों के विलंबित भुगतान के कारण ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा `53.20 करोड़ के अतिरिक्त शुल्क की परिहार्य वसूली: मध्य रेलवे

मध्य रेलवे द्वारा पानी शुल्क के भुगतान में लगातार देरी और मध्य रेलवे के भीतर कमजोर निगरानी तंत्र के कारण काफी मात्रा में बकाया राशि जमा हो गई और ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा अतिरिक्त शुल्क के रूप में `53.20 करोड़ रेलवे से वसूल किए गए।

पैरा 3.4 `23.08 करोड़ के वे लीव चार्ज की वसूली न होना: उत्तर मध्य रेलवे

रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार वे लीव चार्ज लगाने के लिए समझौतों का नवीनीकरण न होने के कारण `23.08 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

पैरा 3.5 पुल के दोषपूर्ण निर्माण के कारण `14.12 करोड़ का व्यर्थ व्यय: पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे

अररिया-गलगालिया नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन परियोजना के अंतर्गत पुल सं. 247 के दोषपूर्ण निर्माण और उसके बाद ऊपरी ढांचे को ध्वस्त करने और पुनर्निर्माण के कारण, रेलवे प्रशासन को `14.12 करोड़ का अनावश्यक व्यय करना पड़ा।

पैरा 3.6 अतिक्रमण मुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना रोड ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू करने के कारण रेलवे निधि का अवरोधन: पूर्व रेलवे

पूर्व रेलवे प्रशासन ने रेल मंत्रालय के निर्देशों और झारखंड राज्य सरकार के साथ हुए समझौता ज्ञापन के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए, रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) तक एप्रोच रोड के लिए अतिक्रमण मुक्त भूमि सुनिश्चित किए बिना

ही रोड ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप `10.96 करोड़ की रेलवे निधि अवरुद्ध हो गई।

पैरा 3.7 स्पष्ट स्थल उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना रोड ओवर ब्रिज/लिमिटेड यूज सबवे कार्यों के निष्पादन के कारण पूंजी का अवरोधन: दक्षिण रेलवे

दक्षिण रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट स्थलों की उपलबधता सुनिश्चित किए बिना रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और लिमिटेड यूज सबवे (एलयूएस) का निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप `7.81 करोड़ की पूंजी अवरुद्ध हो गई और समपार (एलसी) के निरंतर संचालन के कारण `0.89 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

पैरा 3.8 अप्रासंगिक कार्यों पर आकस्मिक निधि से `8.43 करोड़ का परिहार्य व्यय: पूर्वोत्तर रेलवे

पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने पूंजी और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (संस्थागत वित्त) से वित्तपोषित विभिन्न परियोजनाओं में किए गए आकस्मिकता प्रावधानों से `8.43 करोड़ का व्यय उन कार्यों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए किया जो परियोजनाओं से संबंधित नहीं थे।

पैरा 3.9 ट्रेन सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणालियों की अतिरिक्त खरीद पर `6.93 करोड़ का परिहार्य व्यय: मेट्रो रेलवे

मेट्रो रेलवे (एमआर) ने 35 रेकों में लगाने के लिए ट्रेन सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस) खरीदी, जबकि उस समय उसके पास केवल 27 रेक ही उपलब्ध थे और अतिरिक्त रेक मिलने की कोई पक्की गारंटी भी नहीं थी। परिणामस्वरूप, `6.93 करोड़ मूल्य का टीपीडब्ल्यूएस उपकरण अप्रयुक्त पड़े रहे और बाद में अपनी निर्धारित जीवन अवधि का अधिकांश हिस्सा समाप्त होने के बाद इसे अतिरिक्त पुर्जों के रूप में इस्तेमाल किया गया।

पैरा 3.10 नई बिछाई गई रेल पटरियों में मोड़ आने के कारण उनको समय से पहले बदलने पर परिहार्य व्यय: उत्तर पश्चिम रेलवे

नई बिछाई गई रेल पटरियों में मोड़ आने के कारण समय से पहले रेल पटरियों को बदलने से `2.73 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ, साथ ही बदलने के लिए देय रेल पटरियों पर `2.95 करोड़ की अतिरिक्त देनदारी भी उत्पन्न हुई।

पैरा 4.1 वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना मिनी पेंट्री के लिए निर्धारित स्थान वाले कोचों के निर्माण के कारण अर्जन क्षमता में हानि: इंटीग्रल कोच फैक्ट्री

इंटीग्रल कोच फैक्ट्री प्रशासन ने मिनी पेंट्री के लिए निर्धारित स्थान वाले एलएचबी एसी और नॉन-एसी चेयर कार कोचों के उत्पादन करने से पहले उनकी वास्तविक आवश्यकता का आकलन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप इन कोचों को मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में लगा दिया गया जहां मिनी पेंट्री की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान कोचों की अर्जन क्षमता में लगभग `105.76 करोड़ की हानि हुई।

पैरा 4.2 दानकुनी में डीजल लोको कंपोनेंट फैक्ट्री स्थापित करने के रेल मंत्रालय के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप `93.40 करोड़ का अनुत्पादक व्यय: चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स

दानकुनी में 2012-13 में `266 करोड़ की लागत से स्थापित डीजल लोको कंपोनेंट फैक्ट्री (डीएलसीएफ) को जनवरी 2018 से बंद कर दिया गया। परिणामस्वरूप, डीएलसीएफ में खरीदी गई `93.40 करोड़ मूल्य की मशीनरी और संयंत्र को अधिशेष घोषित कर दिया गया क्योंकि वे विशेष रूप से डीजल लोकोमोटिव के घटकों के लिए डिजाइन किए गए थे और उनका उपयोग नहीं किया जा सका।

पैरा 4.3 सटीक कर्षण ऊर्जा बिलिंग पद्धति को देरी से लागू करने के कारण भारी वित्तीय हानि का होना: दक्षिण मध्य रेलवे

वास्तविक आधार पर कर्षण ऊर्जा बिलिंग को लागू करने में देरी के परिणामस्वरूप `64.29 करोड़ का शुद्ध परिहार्य व्यय हुआ।

पैरा 4.4 चल स्टॉक कार्यक्रम मिलने में देरी के कारण निष्क्रिय समय के वेतन के भुगतान पर `33.72 करोड़ का व्यर्थ व्यय: उत्तर रेलवे

रेलवे प्रशासन द्वारा समय पर उत्पादन योजना उपलब्ध न कराने के कारण मानव संसाधन बेकार पड़े रहे और परिणामस्वरूप कार्यशाला कर्मचारियों को निष्क्रिय समय के वेतन के भुगतान के रूप में `33.72 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

पैरा 4.5 औसत पावर फैक्टर बनाए न रखने के कारण पावर फैक्टर सरचार्ज के रूप में `6.29 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान और `0.11 करोड़ के प्रोत्साहन का दावा न करना: उत्तर पश्चिम रेलवे

उत्तर पश्चिम रेलवे (उपरे) ने डीएफसीसीआईएल मार्ग पर स्थित किशनगढ़, माओंडा और भिवाड़ी ट्रैक्शन सब-स्टेशनों (टीएसएस) पर अपेक्षित औसत पावर फैक्टर बनाए नहीं रखा, जिसके कारण बिजली बिलों में पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया गया। इसके अलावा, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/जयपुर द्वारा बिलिंग में पावर फैक्टर की गणना के लिए गलत पद्धति अपनाने के बावजूद, उपरे ने पावर फैक्टर सरचार्ज के रूप में `6.29 करोड़ का अनावश्यक भुगतान किया और `0.11 करोड़ के लागू प्रोत्साहन का दावा नहीं किया।

पैरा 4.6 अनुबंध मांग अधिभार के रूप में `5.92 करोड़ का परिहार्य भुगतान: उत्तर पश्चिम रेलवे

गाहरी भागी ट्रैक्शन सब-स्टेशन के अनुबंध मांग में संशोधन करने और पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई के प्रति उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण अनुबंध मांग अधिभार के रूप में `5.92 करोड़ का अनावश्यक भुगतान करना पड़ा और अनुबंध मांग में संशोधन न होने के कारण वित्तीय दायित्व बना रहा।

BSC/R/TT/IK/68-26